§पांच§ ऐसे उम्मीदवार, जो किसी एक व्यवसाय में शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर लेने के बाद किसी दूसरे व्यवसाय में शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के लिये अध्ययन प्रारम्भ कर दें, जैसे बी.टी./बी.एड के बाद एल.एल.बी. करने लगे इसके पात्र नहीं होंगे ।

शैक्षणिक वर्ष 1980-81 से दो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने की अनुमति दे दी गई है । § प्राधिकार: एफ क्र. 11017/37-79-एस सी. एण्ड बी.सी.डी.तीन, तारीख 20.6.1980§

§छह§ निरन्तर शाला पाठ्यक्रम होने के कारण उच्चतर माध्यमिक शाला पाठ्यक्रम ग्यारहवीं कक्षा में या बहुउद्देशीय उच्चशाला की बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र इसके पात्र नहीं होंगे ।

तथापि, उन मामलों में, जिनमें ऐसे पाठ्यक्रमों की दसवीं कक्षा की परीक्षा मैट्रिक के समकक्ष मानी जाती हो, और दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद छात्रों ने अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले लिया हो, ऐसे छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्र समझा जाएगा और वे छात्रवृत्ति पाने के पात्र होंगे ।

§सात§ चिकित्सा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्र इसके पात्र होंगे, बशर्ते उनके अध्ययनकाल में उन्हें प्रेक्टिस करने की अनुमति न दी गई हो ।

§आठ§ ऐसे उम्मीदवारों को जिन्होंने कला/विज्ञान/वाणिज्य में स्नातक पूर्व/स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त व्यावसायिक या तकनीकी प्रमाण पत्र/डिप्लोमा /उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो, छात्रवृत्तियां दी जाएगी, बशर्ते वे अन्यथा रूप से इसके पात्र हों। उसके बाद अनुत्तीर्ण होने की छूट नहीं दी जाएगी§ ग्रुप "क" के पाठ्यक्रमों को छोड़कर§ और आगे पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी ।

§नौ § ऐसे उम्मीदवार जो पत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से अध्ययन करते है वे दि:1.7.1989 से आगे वापिस न की जाने वाली फीस की प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे । पत्राचार पाठ्यक्रम में स्पष्ट और निरन्तर शिक्षा शामिल है । आगे बाबित न की जाने वाली फीस के साथ-साथ ऐसे छात्र 1.10.1995 से अनिवार्य/निर्धारित पुस्तकों के लिए 500 रूपए का वार्षिक भत्ता प्राप्त करने के पात्र भी होंगे ।

§दस§ ऐसे छात्र, जो पूर्णकालिक नियोजन में हों, इसके पात्र नहीं होंगे तथापि, नियोजित छात्र, जिन्होंने पाठ्यक्रम की संपूर्ण अवधि की अवैतनिक छुट्टी ले ली हो तथा जो पूर्णकालिक छात्र के रूप में अध्ययन कर रहे हों, छात्रवृत्ति पाने के पात्र होंगे ।

शैक्षणिक वर्ष 1995-96 से ऐसे नियोजित छात्रों की, जिनकी आय उनके माता-पिता अभिभावकों की आय सहित 44500 रू0 प्रतिमाह से अधिक न हों, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति का पात्र बना दिया गया है । इनमें पात्रता अनिवार्य देय वापिस न करने योग्य फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है ।